काबिल खारिज के है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात् के पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमावें। बहस उभयपक्ष की बहस सुनी गई और उस पर मनन किया।

पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख के अवलोकन से यह जाहिर है कि सरहद मौजा- खराड़ी, पटवार हल्का डिगरना, तहसील जैतारण की वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 994/20 रकबा 1.7806 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है तथा उक्त वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 की आराजी खसरा नम्बर 994/4 रकबा 2.2500 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के साथ परस्पर पर सीमा बनाती है। जिसके कारण उभयपक्ष के मध्य वास्तविक सीमा रेखा की स्थिति को लेकर विवाद होनें से इन्कार नहीं किया जा सकता। खातेदारान् के मध्य आराजी को लेकर किसी प्रकार का सीमा विवाद न हो इसके लिए यह आवश्यक है कि काश्तकारों को उनकी खातेदारी भूमि की सीमाओं का सही-सही ज्ञान हो। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 128 में प्रावधान है कि काश्तकारों के मध्य सीमा-विवादों का निस्तारण धारा 111 में विहित प्रकिया से किया जावे। अतः हम प्रार्थना-पत्र, प्रार्थी स्वीकार करना विधिसंगत समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि सरहद मौजा- खराड़ी, पटवार हल्का डिगरना, तहसील जैतारण में प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 994/20 रकबा 1.7806 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 की आराजी खसरा नम्बर 994/4 रकबा 2.2500 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के खातेदारान के मध्य राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थी के हर्जे खर्चे से उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा-विभाजक रोपित करावें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनॉक 11/12/2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)